

- ✓ संस्था को (उपरोक्त प्राथमिक शिक्षा समितियों तथा उच्च समितियों, संस्थाओं को सम्बद्ध किया जाता) विनियमावली-2000 को सही का अनुपालन करना होगा।
- ✓ संस्था में संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा आयोजित छात्रों को ही प्रवेश दिए जायेंगे। सही के बिना यह करने की शक्ति में उत्तर प्रदेश सरकार के निर्देशानुसार ही प्रवेश की कार्यवाही की जायेगी।
- ✓ संस्था को सनातन-सम्यक पर निर्भर शासनादेशों के अनुसार निर्धारित एवं सम्बद्धता शुल्क जमा करना होगा।
- ✓ संस्था को एम्पावर्ड/सीआईआई/पीसीआई/से आवासीय एवं हेतु अनुमोदन प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा बनाये गये विधि/नियमों/अधिनियमों/शासनादेशों/निर्देशों एवं निर्देशक, प्राथमिक शिक्षा, उत्तर प्रदेश, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश बनाये गये नियमों, विनियमों, आदेशों, निर्देशों का पालन करने के लिये बाध्य होगी।
- ✓ डिप्लोमा इन कॉमर्स पाठ्यक्रम को लाला लजपत राय विश्वविद्यालय, दिल्ली से अनुमोदन प्राप्त करने में असमर्थ होती है तो इस संस्था में सम्बन्धित शासनादेशों/संस्था का होगा और विधि एवं से किसी भी कार्यवाही के लिए संस्था स्वयं उत्तरदायी होगी। प्राथमिक शिक्षा परिषद, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, प्राथमिक शिक्षा निर्देशालय एवं प्राथमिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश सरकार को कोई काद वारर किया जाता है तब तक यह के संस्था में का शासनादेश द्वारा किसी प्रकार की प्रतिक्रिया, कभी आदेश निर्गत किया जाता है तो समस्त प्रतिक्रिया सम्बन्धित संस्था को करनी होगी।
- ✓ डिप्लोमा इन कॉमर्स पाठ्यक्रम सम्बन्धित करने वाली संस्थाओं को संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रत्येक वर्ष के लिए आयोजित प्रवेश परीक्षा हेतु कार्यान्वयन प्रारंभ होने से पूर्व विनियमों/से अनुमोदन प्राप्त कर परिषद कार्यालय को सम्बन्धित करना होगा अन्यथा उन्हें प्रवेश की (कार्यान्वयन के माध्यम से अपना संस्था स्तर पर सीधे प्रवेश) अनुमति नहीं प्राप्त की जायेगी।
- ✓ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रवेश हेतु निर्धारित नवीनतम आवश्यक नियमों का अनुपालन करना आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था को अपने वेबसाइट पर संस्था की समस्त सूचनाएँ जैसे संस्था की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, स्टाफ, राज-सम्यक प्रभाव, प्राप्त किया जाने वाला शुल्क, आयोजना शुल्क आदि का विवरण उपलब्ध करना होगा।
- ✓ संस्था को विद्या-प्रविवान हेतु उपर्युक्त शासनादेश, उपलब्ध करने के साथ ही प्रवेश परीक्षा के सम्बन्ध में समस्त आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।
- ✓ संस्था यह सुनिश्चित हो ले कि संस्था में प्राथमिक/सहायक पाठ्यक्रम को चलाने वाले हेतु शिक्षा समिति के समस्त उपलब्ध कराये गये अधिष्ठाता, भूमि-भवन, सामग्री, उपकरण इत्यादि का यदि संस्था द्वारा किसी उच्च पाठ्यक्रम के शासनादेश में प्रवेश किया जाता है और परिषद को इसकी जानकारी होती है कि संस्था उपरोक्त का प्रावण किसी अन्य कार्य के लिए कर रही है तो तत्काल संस्था को सम्बद्धता सफल किए जाने की अनुमति की जायेगी।
- ✓ सम्बद्धता सही का अनुपालन न किये जाने अथवा सही का अनुपालन किये जाने की शक्ति में विनियमानुसार अनुशासनमय कार्यवाही की जायेगी।

/ (10 अक्टूबर 2020)
सचिव

संस्था- प्राथमिक/परिषद/सम्बद्धता/2020/ 1972-3141

तारीख- 15-09-2020

प्राथमिक-शासनादेश/निर्देशक-शासनादेश-4 (सीआईआई/पीसीआई) और शासनादेश-5 (सीआईआई/पीसीआई)। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जारी करवायी।

(10 अक्टूबर 2020)
सचिव

आर्वातव**सचिव, प्राविधिक शिक्षा परिषद****उत्तर प्रदेश सरकार**

संख्या: प्राविष/परिषद/सम्बद्धता/2021/3537

संखनड: दिनांक: 09/09/2021

आर्वातव आध

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली/कार्मेली कंठनित ओक इन्डिया, नई दिल्ली द्वारा सैकिक सड 2021-22 हेतु डिप्लोमा स्तरीय तकनीकी शिक्षा संस्थाओं को अनुमोदन प्रदान किए जाने के उपरान्त प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ०प्र० संखनड से सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक- 08/09/2021 को परिषद कार्यालय में सम्बद्धता समिति की बैठक संपन्न हुई। बैठक में समिति द्वारा सत्र 2021-22 हेतु आर्षेदित नई संस्थाओं की सम्बद्धता पूर्व से संघर्षित संस्थाओं को सम्बद्धता विस्तार/ पाठ्यक्रम/ प्रवेश क्षमता वृद्धि सहित अन्य मर्तों पर विचार करते हुए सत्र 2021-22 हेतु सम्बद्धता/ सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने का निर्णय किया गया।

सम्बद्धता समिति की बैठक में किये गये निर्णय के अनुक्रम में निम्न संखनड को प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ० प्र० संखनड द्वारा सत्र 2021-22 हेतु सिंभांकित संर्तों के अर्वात पाठ्यक्रम एवं उसमें अंकित प्रवेश क्षमता हेतु सम्बद्धता विस्तार प्रदान की जाती है-

संस्था का कोड एवं नाम : 2248-EMERALD-9 INSTITUTE OF MANAGEMENT AND TECHNOLOGY, 11 KM, LUCKNOW CHINHAT-DEWA ROAD, BARABANKI

क्र०सं०	पाठ्यक्रम का नाम	ए०आईसीटीआईए पी०सी०आई० द्वारा सत्र 2021-22 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता	परिषद द्वारा सत्र 2021-22 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता
1	MECHANICAL ENGINEERING (PRODUCTION)	120	120
2	ELECTRICAL ENGINEERING	60	60
3	COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING	60	60
4	ELECTRONICS ENGINEERING	60	60
5	CIVIL ENGINEERING	180	180
6	MECHANICAL ENGINEERING (AUTOMOBILE)	60	60
7	P.G.DIPLOMA IN COMPUTER APPLICATION	60	60
8	HOME SCIENCE	60	60
9	INDUSTRIAL SAFETY	60	60

सम्बद्धता हेतु शर्तें

- ✓ संस्था ए०आई०सी०टी०ई०पी०सी०आई० द्वारा निर्धारित की गयी सभी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद एक्ट 1962 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद विनियमवली 1962, सेमेंटर विनियमवली-2016 तथा अन्य निर्मित नियमों एवं आदेशों का अनुपालन करेगी तथा शुल्क निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित शुल्क तीन वर्षीय डीजी० पाठ्यक्रमों हेतु ₹० 30150,000/- प्रतिवर्ष, दो वर्षीय फार्मेसी पाठ्यक्रम हेतु ₹०-45000,000/- प्रतिवर्ष एवं एक तथा दो वर्षीय पाठ्यक्रम (ए) वर्षीय फार्मेसी पाठ्यक्रम के अतिरिक्त) हेतु ₹०-22500,000/- प्रतिवर्ष शुल्क हैं प्रत्येक छात्र/छात्रा से प्राप्त किया जाएगा। उपरोक्त के अतिरिक्त छात्र/छात्राओं से शुल्क के सम्बन्ध में समाप्त-समाप्त पर शासन द्वारा निर्मित किये जाने वाले शासनदेश प्रभावी होंगे, और तदनुसार कार्यवाही किया जाना आवश्यक होगा। फीस निर्धारण समिति द्वारा यदि सत्र 2021-22 हेतु फीस का पुनर्विचार किया जाता है, तो फीस की नवीनतम दर लागू होगी।
- ✓ संस्था को 30000 प्राविधिक शिक्षा समितियां तथा उप समितियां संस्थाओं को सम्बद्ध किया जाना विनियमवली-2000 की शर्तों का अनुपालन करना होगा।
- ✓ संस्था में संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा अव्यक्ति छात्रों को ही प्रवेश दिया जाएगा। सीटों के रिक्त रह जाने की स्थिति में उत्तर प्रदेश शासन के निर्देशानुसार ही प्रवेश की कार्यवाही की जाएगी।
- ✓ संस्था को समय-समय पर निर्मित शासनादेशों के अनुसार निरीक्षण एवं सम्बद्धता शुल्क जमा करना होगा।
- ✓ संस्था को ए०आई०सी०टी०ई०पी०सी०आई० से आगामी सब हेतु अनुमोदन प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश शासन द्वारा बनाये गये विधि/नियमों/अधिनियमों/शासनादेशों/निर्देशों एवं निदेशक, प्राविधिक शिक्षा, 30000, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, 30000 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद, 30000 द्वारा बनाये गये नियमों, विनियमों, आदेशों, निर्देशों का पालन करने के लिये बाध्य होगी।
- ✓ डिप्लोमा इन फार्मेसी पाठ्यक्रम की संस्थाएं यदि पी.सी.आई. नई दिल्ली से अनुमोदन प्राप्त करने में अग्रसर रहती है तो इस संबंध में सम्बद्ध उत्तरदायित्व संस्था का होगा और विधिक रूप से किसी भी कार्यवाही के लिए संस्था स्वयं उत्तरदायी होगी। प्राविधिक शिक्षा परिषद, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, प्राविधिक शिक्षा निदेशालय एवं प्राविधिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश शासन को कोई बात सागर किया जाता है तथा सागर बात के संबंध में या, न्यायालय द्वारा किसी प्रकार की प्रातिपूर्ति संबंधी आदेश निर्मित किया जाता है तो सम्बद्ध प्रातिपूर्ति संबंधित संस्था को करनी होगी।
- ✓ डिप्लोमा इन फार्मेसी पाठ्यक्रम संचालित करने वाली संस्थाओं को संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रत्येक वर्ष के लिए आव्यक्ति प्रवेश परीक्षा हेतु काउन्सिलिंग प्रारंभ होने के पूर्व पी०सी०आई० से अनुमोदन प्राप्त कर परिषद कार्यालय को उपलब्ध कराना होगा अन्यथा उन्हें प्रवेश की काउन्सिलिंग के माध्यम से अथवा संस्था कार पर सीधे प्रवेश) अनुमति नहीं प्रदान की जाएगी।
- ✓ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रवेश हेतु निर्मित नवीनतम गारंक्षण नियमों का अनुपालन करना आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था को अपने वेबसाइट पर संस्था की समस्त सूचनाएं जैसे संस्था की ऐतिहासिक पृष्ठ भूमि, स्टाफ, साज-सज्जा, उपकरण, प्राप्त किया जाने वाला शुल्क, छात्रावास शुल्क आदि का विवरण उपलब्ध कराना होगा।
- ✓ संस्था को शिक्षण-प्रशिक्षण हेतु उपयुक्त कलाकरण उपलब्ध कराने के साथ रेगिंग रोकने के सम्बन्ध में समस्त आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।
- ✓ संस्था यह सुनिश्चित हो ले कि संस्था में प्रस्तावित संचालित पाठ्यक्रम को चलाने जाने हेतु निरीक्षण समिति के समक्ष उपलब्ध कराये गये अभिलेख, भूमि-भवन, फर्नीचर, उपकरण इत्यादि का यदि संस्था द्वारा किसी अन्य पाठ्यक्रम के संचालन में प्रयोग किया जाता है और परिषद को इसकी जानकारी होती है कि संस्था उपरोक्त का प्रयोग किसी अन्य कार्य के लिए कर रही है तो तत्काल संस्था की सम्बद्धता समाप्त किये जाने की अनुमति की जाएगी।
- ✓ संस्था के राष्ट्रीय निरीक्षण दौरान यदि संस्था में भूमि भवन, प्रयोगशाला, उपकरण एवं अन्य साज-सज्जा ए०आई०सी०टी०ई०पी०सी०आई०/परिषद के मानकानुसार उपलब्ध नहीं पाया जाता है तो संस्था की सम्बद्धता समाप्त कर दी जाएगी।
- ✓ सम्बद्धता शर्तों का अनुपालन न किये जाने अथवा शर्तों का उल्लंघन किये जाने की स्थिति में नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी।

(सुनील कुमार सोनकर)

सचिव

दिनांक: 09/08/2021

पू0सं0- प्राशिका/परिषद सम्बद्धता/2021/3538-4909

प्रतिलिपि:-

प्रधानाध्यापक/निदेशक, EMERALD-9 INSTITUTE OF MANAGEMENT AND TECHNOLOGY, 11 KM,
LUCKNOW CHINHAT-DEWA ROAD, BARABANKI



(सुनील कुमार सोनकर)

सचिव

कार्यालय,

सचिव, प्राविधिक शिक्षा परिषद,

उत्तर प्रदेश लखनऊ

संख्या: प्राशिप/परिषद/सम्बद्धता/2022/7817

लखनऊ दिनांक 30/08/2022

:-सर्वसाधारण तथ्य:-

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली, राजकीय काउन्सिल ऑफ इंजिनियरिंग, नई दिल्ली द्वारा वार्षिक सत्र 2022-23 हेतु विदेशीय स्तरीय तकनीकी शिक्षण संस्थाओं को अनुमोदन प्रदान किए जाने के अन्तर्गत प्राविधिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश लखनऊ से सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक- 30/08/2022 को परिषद कार्यालय में सम्बद्धता समिति की बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में समिति द्वारा सत्र 2022-23 हेतु आवेदित नई संस्थाओं को सम्बद्धता पूर्व से स्थापित संस्थाओं को सम्बद्धता विस्तार/पाठ्यक्रम/प्रवेश क्षमता वृद्धि सहित अन्य शर्तों पर विचार करते हुए सत्र 2022-23 हेतु सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान करने का निर्णय किया गया।

सम्बद्धता समिति की बैठक में निम्न शर्त निर्णय के अन्तर्गत में निम्न संस्था को प्राविधिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा सत्र 2022-23 हेतु सिन्क्राइटि भागी के अर्थ में पाठ्यक्रम एवं उसमें अंतर्गत प्रवेश क्षमता हेतु सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान की जाती है:-

संस्था का कोड एवं नाम : 2246-EMERALD-3 INSTITUTE OF MANAGEMENT AND TECHNOLOGY, 11 KM, LUCKNOW-DEWA ROAD, KHAJOURGAUN, BARABANKI

क्र.सं.	पाठ्यक्रम का नाम	ए0आई0सी0टी0आई0/ पी0सी0आई0 द्वारा सत्र 2022-23 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता	परिषद द्वारा सत्र 2022-23 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता
1	CIVIL ENGINEERING	180	180
2	ELECTRICAL ENGINEERING	60	60
3	ELECTRONICS ENGINEERING	60	60
4	MECHANICAL ENGINEERING (AUTOMOBILE)	60	60
5	MECHANICAL ENGINEERING (PRODUCTION)	120	120
6	COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING	60	60

सम्बद्धता हेतु शर्तें

- ✓ संस्था ए0आई0सी0टी0ई0/पी0सी0आई0 द्वारा निर्धारित की गयी सभी धनो का पूर्णतः प्रवाह करेगी।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद एक्ट 1982 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद विनियमवली 1982 विनियमवली-2000, सेमेस्टर विनियमवली-2016 तथा समय-समय पर निर्गत शासनादेशों का अनुपालन करेगी तथा शुल्क निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित शुल्क तीन वर्षीय इंडी0 पाठ्यक्रमों हेतु ₹0 30150.00/- प्रतिवर्ष, छी0 वर्षीय फार्मसी पाठ्यक्रम हेतु ₹0- 45800.00/- प्रतिवर्ष एवं एक तथा छी0 वर्षीय पाठ्यक्रमों (छी0 वर्षीय फार्मसी पाठ्यक्रम के अतिरिक्त) हेतु ₹0-22900.00/- प्रतिवर्ष शुल्क ही पर्येक छात्र/छात्रा से चार्ज किया जाएगा। उपरोक्त के अतिरिक्त छात्र/छात्राओं से शुल्क के सम्बन्ध में समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत किये जाने वाले शासनादेश प्रकाशी होगी, और तदनुसार कार्यवाही किया जाना आवश्यक होगा। शैक्षिक निर्धारण समिति द्वारा बट्टे सर 2022-23 हेतु शैक्षिक का पुनर्निर्धारण किया जाता है, तो शैक्षिक की नवीनतम दर लागू होगी।
- ✓ संस्था से संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा अर्जादिता जारी की है प्रवेश दिया जाएगा।
- ✓ संस्था को समय-समय पर निर्गत शासनादेश के अनुसार निरीक्षण एवं सम्बद्धता शुल्क जमा करना होगा।
- ✓ संस्थान उत्तर प्रदेश शासन द्वारा निर्गत विधिनियमों/अधिनियमों/शासनादेशों/निर्देशों एवं सिद्धेयक, प्राविधिक शिक्षा उग्रपठ संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उग्रपठ तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद, उग्रपठ द्वारा चलाने वाले विषयों, विनियमों, आदेशों एवं निर्देशों का पालन करने के लिये बाध्यकारी है।
- ✓ यदि संस्थान का ए0आई0सी0टी0ई0/पी0सी0आई0 से अनुमोदन निरस्त किया जाता है तो इस संबंध में अस्तित्व उत्तरदायित्व संस्था का होगा और विधिक रूप से किसी भी कार्यवाही के लिए संस्था स्वयं उत्तरदायी होगी। प्राविधिक शिक्षा परिषद, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, प्राविधिक शिक्षा निदेशालय एवं प्राविधिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश शासन के विरुद्ध यदि कोई याच दायर किया जाता है तथा टावर बंद के संबंध में या. न्यायालय द्वारा किसी प्रकार की प्रतिपूर्ति संबंधी आदेश निर्गत किया जाता है तो संसल प्रतिपूर्ति संबंधित संस्था को करनी होगी।
- ✓ संस्थाओं को संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा प्रत्येक वर्ष प्रवेश हेतु आयोजित कम्प्यूटरीकृत परीक्षा होने के पूर्व ए0आई0सी0टी0ई0/पी0सी0आई0 से अनुमोदन प्राप्त कर परिषद कार्यवाही को आरम्भ करना होगा अन्यथा उनके प्रवेश की कम्प्यूटरीकृत के माध्यम से प्रवेश परीक्षा के आधार पर/सिद्धेय प्रवेश) अनुमति प्रदान नहीं की जायेगी।
- ✓ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रवेश हेतु समय-समय पर निर्गत नवीनतम आदेशन विषयों का अनुपालन करना बाध्यकारी होगा।
- ✓ संस्था को अपने वेबसाइट पर संस्था की समस्त सूचनाएं जैसे संस्था की ऐतिहासिक पृष्ठि भूमि, स्टाफ, साऊ.सऊ.स, उपकरण, प्रायत किया जाने वाला शुल्क, छात्र/छात्रा शुल्क आदि का विवरण उपलब्ध करना होगा।
- ✓ संस्था को शिक्षा,परिपालना हेतु उपयुक्त वातावरण उपलब्ध कराने के साथ शैक्षिक गैरने के सम्बन्ध में समस्त आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करने होगी।
- ✓ संस्था यह सुनिश्चित हो ले कि संस्था में प्रस्तावित/संचालित पाठ्यक्रम का चलाने जाने हेतु निर्दिष्ट समिति के समस्त उपलब्ध कराने गयी अभिलेख, भूमि,अवका, कमीषन, उपकरण इत्यादि का यदि संस्था द्वारा किसी अन्य पाठ्यक्रम के संचालन में प्रयोग किया जाता है और परिषद का हुक्मी आदेश/होती है कि संस्था उपरोक्त का प्रयोग किसी अन्य काम के लिए कर रही है तो तत्काल संस्था की सम्बद्धता समाप्त किये जाने की कार्यवाही की जायेगी।
- ✓ संस्था के अधिक स्थायीय निर्दिष्टा के दौरान यदि संस्था में भूमि, आवक, परीक्षा, उपकरण एवं अन्य साऊ.सऊ.स

ए0आई0सी0टी0ई0पी0सी0आई0एन0एल के मानकनुसार उपलब्ध नहीं माना जात है तो संस्था की सम्बद्धता समाप्त कर दी जाएगी।

✓ सम्बद्धता शर्तों का अनुपालन न किये जाने अथवा शर्तों का उल्लंघन किये जाने की स्थिति में निम्नानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।



(एफ0एम0एल0आर)

सचिव

मु0सं0- प्राविप/परिषद सम्बद्धता/2022/7818-8455

दिनांक: 30/08/2022

प्रातिश्रुति-

प्रधान कार्य निदेशक EMERALD-3 INSTITUTE OF MANAGEMENT AND TECHNOLOGY, 11 KM,
LUCKNOW-DEWA ROAD, KHAJOURGAUN, BARABANKI



(एफ0एम0एल0आर)

सचिव